फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

प्रार्थी : श्री प्रतापसिंह बनाम विपक्षी : श्री रघुवीरसिंह व अन्य

किस्म मुकदमा – धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या : 249/21

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 03.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता प्रतिवादी को पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3/1 से 3/3, 8 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादी के कथनानुसार वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पिता व प्रतिवादी संख्या 5 के पति का 2/5 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का 2/5 हिस्सा है। यह कि वादग्रस्त भूमि का आज दिनं तक वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन नहीं हुआ है मौके पर वादी व प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार परिशिष्ट क में वर्णित आराजीयात पर संयुक्त रूप से काबिज होकर कृषि कार्य करते चले आ रहे है और लगान भी अपने हिस्से अनुसार शामिल शरीक जमा कराते आ रहे है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजीयात का आज दिन तक मिट्स एवं बाउण्ड से विभाजन नहीं होकर वादी एवं प्रतिवादीगणों की संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी है। यह कि परिशिष्ट क में वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित है जिसमें प्रतिवादीगण जोरजबरन मुझ वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि में दखलन्दाजी करत है, वादी के हिस्से पर वादी द्वारा शांतिपूर्वक काश्त की जाकर उपयोग उपभोग की जा रही किन्तु प्रतिवादीगण आये दिन वादी के हिस्से को चुनौति दी जाकर उसके शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने में बाधा पैदा कर रहे है तथा जबरन वादी के हिस्से कि भूमि पर कब्जा करने की कुचेष्टा करते है तथा धमकीयां दी जा रही है कि उसे समस्त कुलिया भूमि से बेदखल कर वादग्रस्त भूमि पर कब्जा कर लेंगे और उसे विक्रय कर देगें और इस हेतु विपक्षीगण द्वारा कई लोगों को वादग्रस्त आराजीयात पर लाकर विक्रय करने हेतु दिखाई जा रही है। जबकि आराजीयात का अभी तक विधिवत बंटवाडा नहीं हुआ है। अतः प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र का किसी प्रकार से खण्डन प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप किये जाने के आदेश दिये गये।

हमने अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। हमने पाया कि वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण खातेदार है। वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा नहीं होकर सामलाती

सहायक कलक्टर
भीण्डर

भूमि होकर वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रेकर्ड है। वादग्रस्त भूमि
खातेदार है जिससे वादग्रस्त भूमि में वादी का हित निहित है। वादी द्वारा
भूमि में उसके उपयोग उपभोग में बाधा पैदा करना व बेदखल किया जाना क
वादग्रस्त भूमि में वादी खातेदार होने से वादी का हित निहित है जिससे प्रति
स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः वादी
स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—:: आदेश ::—

परिणागस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान का
अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा गोपालपुरा
हल्का चारगदिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की खाता संख्या नया
आराजी न. 143, 145 मीन रकबा 3 बिघा 5 बिस्वा भूमि में भू प्रबन्धन के बा
नम्बरान के आधार पर प्रतिवादी 1, 2, 3/1 से 3/3, 4, 6, 7 को स्थाई निषेधा
पाबन्द किया जाता हैं। उक्त प्रतिवादी वादी को जबरन बेदखल नहीं करें तथा
के उपयोग–उपभोग में बाधा पैदा नहीं करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये
डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश चन्द्र बहेडिया RAS)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
भीण्डर